

न्यायालय : व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, अंजड़ जिला बड़वानी

{समक्ष : श्रीमती वंदना राज पाण्डेय}

दीवानी प्रकरण क्रमांक 16-ए/2016
संस्थित दिनांक- 05.05.2016

आदेश पिता गजानंद कुलमी, आयु 31 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुआं, तह. ठीकरी, जिला बड़वानी

-वादी

वि रू द्ध

1. रामेश्वर पति दशरथ पाटीदार, आयु 50 वर्ष,
पेशा-कृषि, निवासी-ग्राम केरवां, तह.ठीकरी, जिला बड़वानी
2. जिलाधीश, बड़वानी

-प्रतिवादीगण

वादी द्वारा विद्वान अभिभाषक - श्री बी. के. सत्संगी	
प्रतिवादी क्रमांक-1	- स्वयं
प्रतिवादी क्रमांक-2	- पूर्व से एकपक्षीय

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 29/08/2016 को पारित)

01- वादी ने यह वाद प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध ग्राम दाभड़ पटवारी हलका नंबर-4, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 217/3/1 रकबा 1.611 हैक्टर (जिसे प्रकरण में संक्षिप्तता व सुविधा की दृष्टि से आगे **वादग्रस्त भूमि** कहा जाएगा) पर वसीयत के आधार पर स्वयं की स्वत्व घोषणा एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2016 को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत किया है।

02- प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होना स्वीकृत तथ्य है।

03- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय बालू पिता रुघनाथ के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है और उक्त भूमि स्वर्गीय बालू ने वादी के पक्ष में दिनांक 07.04.2014 को वसीयतनामा के आधार पर वादी को प्रदान की है और उक्त खातेदार स्वर्गीय बालू की मृत्यु उपरांत वादी वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर स्वत्वधारी हो गया है, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक-1 ने उसके पक्ष में विक्रय विलेख होने के आधार पर वादी को सूचना पत्र दिए बिना सिविल न्यायालय, अंजड़ में एक सिविल वाद प्रस्तुत कर अपने पक्ष में डिक्री पारित करवा ली और वादग्रस्त भूमि का नामांतरण अपने पक्ष में करवा लिया, जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 18.04.2016 को हुई तो प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी से राजीनामा करने की सहमति प्रदान की, इसलिए, वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि का वादी वसीयत के आधार

पर स्वत्वधारी है, इसलिए उक्त वसीयत के आधार पर सिविल वाद क्रमांक 29-ए/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2016 के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का हुआ नामांतरण निरस्त किया जाए और वादी का नाम वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाए। प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 के विरुद्ध वादी ने कोई सहायता नहीं चाही है, मात्र औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

04— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने उपस्थित होकर वादी से राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उक्त राजीनामे के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने राजीनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर करवाने में सहमति प्रकट की और न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2016 को भी निरस्त कराने में सहमति प्रकट की।

05— अपनी साक्ष्य के दौरान वादी के अधिवक्ता ने न्यायालय के सिविल वाद क्रमांक 29-ए/2015 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी-4 पेश की है। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय बालू पिता रघुनाथ कुलमी से दिनांक 27.11.2010 को रुपये 7,11,000/- (अक्षरी रुपये सात लाख ग्यारह हजार मात्र/-) पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय करना बताया है तथा उक्त विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि भी वादी ने प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा रामेश्वर पिता दशरथ पाटीदार द्वारा प्रस्तुत किए गए दीवानी वाद क्रमांक 29-ए/2015 डिक्री किया गया है तथा इस वाद में वादी ने स्वर्गीय बालू द्वारा इसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में वसीयतनामा दिनांक 07.04.2014 को अपने पक्ष में निष्पादित करना बताया है। इस प्रकार जिस दिनांक 07.04.2014 को स्वर्गीय बालू पिता रघुनाथ कुलमी द्वारा वादी के पक्ष में वसीयतनामा लिखा गया था, उक्त दिनांक के पूर्व ही स्वर्गीय बालू द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय विलेख प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में दिनांक 27.11.2010 को निष्पादित कर दिया गया था। उक्त विक्रय विलेख पंजीकृत दस्तावेज है, जिसकी सत्यता के संबंध में उपधारणा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकती है तथा विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने के पश्चात स्वर्गीय बालू पिता रघुनाथ कुलमी का वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 217/3/1 रकबा 1.611 हैक्टर पर कोई स्वत्व नहीं रहा। ऐसी स्थिति में जिस भूमि पर वसीयतकर्ता को स्वत्व प्राप्त नहीं हैं, उक्त भूमि के संबंध में उसके द्वारा किया गया वसीयतनामा प्रभावहीन है और उक्त वसीयतनामे से वादी को कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि पर प्राप्त नहीं होते हैं।

06— यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में रामेश्वर पिता दशरथ पाटीदार, जो इस वाद में प्रतिवादी क्रमांक-1 है, ने न्यायालय में सिविल वाद क्रमांक 29-ए/2015 प्रस्तुत किया था, जिसमें स्वयं द्वारा वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय बालू से क्रय करना बताया था और उक्त विक्रय विलेख के आधार पर न्यायालय द्वारा डिक्री की जाकर प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है तथा उसके नाम से राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां भी हो चुकी हैं, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी-5, 6 व 7 स्वयं वादी ने प्रस्तुत की हैं।

07— इस प्रकार स्पष्ट रूप से वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त राजीनामा दुरभिसंधि से किया जाना प्रमाणित होता है तथा उक्त स्वत्वहीन वसीयतनामे के आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमि में कोई भी स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रस्तुत राजीनामा विधि विरुद्ध तथा लोक नीति के विपरीत होने से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त राजीनामा और प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है। तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करें।

अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के अनुसार अथवा जो भी रकम प्रमाणित हुई हो अथवा दोनों में से जो कम हो, व्यय में जोड़ी जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,
अंजड़, जिला बड़वानी

सही / —
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,
अंजड़, जिला बड़वानी